

1

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुझुनू (राज.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या: 931/2009
राजस्थान राज्य बनाम ज्ञानाराम वगैरह

दिनांक: 28.07.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली आज पेशी में प्राप्त हुई। अभियुक्तगण जगमोहन, जाकिर, बनवारीलाल, याकूब, डी.एस. सागर एवं मनोहर वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी दरखास्त हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई।

गवाहान की सूची संख्या 02 में अंकित गवाहान संख्या 5, 11, 13, 14 व 16 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 04.08.2025 के लिए, गवाहान संख्या 17, 19, 20, 23 व 26 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 06.08.2025 के लिए, गवाहान संख्या 29 लगायत 33 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 07.08.2025 के लिए, गवाहान संख्या 34 लगायत 38 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 11.08.2025 के लिए, गवाहान संख्या 39 लगायत 43 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 13.08.2025 के लिए, गवाहान संख्या 44 लगायत 48 को जरिये जमानती वारण्ट 10,000/- रुपये दिनांक 14.08.2025 के लिए तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 04.08.2025 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुझुनू (राज.)